न्यायालय तहसीलदार लाडनूं (नागौर)

पीठासीन अधिकारीः श्री आदूराम मेघवाल आर.टी.एस.

मुकदमा नम्बरः—47 / 2017

प्रार्थी

राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार, लाडनूं

बनाम

अप्रार्थी

भंवरलाल पुत्र पेमाराम
जाति जाट निवासी बालसमंद

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांकः— 26.10.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाकलिया के द्वारा इस आशय के बाद जांच भू—अभिलेख निरीक्षक निम्बीजोधा ने रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी ने मौजा बालसमंद के खसरा नम्बर 36 रकबा 00—13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता बंद कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आाधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस तामीलसुदा प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी का नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न तो स्वंय उपस्थित हुआ और न ही अपने किसी प्लीडर द्वारा जबाब पेश किया, इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मौजा बालसमंद के खसरा नम्बर 36 रकबा 00—13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जिसे अप्रार्थी ने बंद कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राज0भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, अतः अप्रार्थी को अतिक्रमित माना जाकर उक्त खसरा नम्बर 36 रकबा 00—13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अप्रार्थी पर सम्वत् 2073 की वार्षिक लगान दर 0.45 के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 15/— अक्षरे पन्द्रह रूपये कायम किया जाता है। अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का, भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार, लाडनूं

तहसीलदार, लाडनूं